(5) विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टैम्प शुल्क,नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन प्रदेशन ग्रहीता को करना होगा।

(6) प्रदेशनग्रहीता को प्रदेशन पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो प्रदेशन सम्पूर्ण टोकन धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार अन्य कटौतियॉ करते हुये निरस्त किया जायेगा।

(7) ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी प्रदेशनग्रहीता पर लागू होगें। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी हर्जे या ब्याज का देनदार नहीं होगा।

(8) प्रदेशन ग्रहीता द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।

नोटः–

(1) आवंटी द्वारा स्वयं की दो प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर सहित जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो तथा प्रमाणित करता द्वारा प्रदेशन ग्रहीता का नाम पिता/पति का नाम व पता प्रमाणित कर्ता द्वारा स्वयं की हस्तलिपि मे हो तथा चार फोटो ग्राफ पासपोर्ट साईज बिना प्रमाणित।

(2) रू० 100/- का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर।

(3) अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु रू० 74,35,500/- का स्टाम्प पेपर।

(4) भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड के कुल मूल्य का 50% जमा करने के पश्चात रजिस्टर्ड अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात हस्तगत किया जा सकेगा।

(5) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु रू० 300.00, रू० 50 फ्री–होल्ड पुस्तिका हेतु व रू० 100.00 साईट प्लान एवं विज्ञापन व्यय हेतु रू० 1,85,887.00 पंजाब नेशनल बैंक,वृन्दावन योजना लखनऊ में परिषद के खाता सं० CA-21432 में दि० 30.06.09 तक जमा करने का कष्ट करें।

(6) कब्जा हेतु दि० 30.06.2009 तक समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा परिषद नियमानुसार 01.07.2009 से रू० 50/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क भी देय होगा।

(7) मासिक किश्तो की धनराशि पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल शाखा वृन्दावन योजना लखनऊ मे परिषद खाता सं० CA-2147 में जमा कर जमा की गयी धनराशि की अग्रिम प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(8) किसी भी देय धनराशि का विलम्ब से भुगतान करने की दशा में 24% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा। जो वास्तविक देय तिथि से देय होगा।

(9) तीन नग साईट प्लान अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–19 उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद,वृन्दावन योजना लखनऊ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(10) टोकन धनराशि के रूप मे जमा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट परिषद खाते मे समाशोधित होने पर यह आवंटन विधिमान्य होगा।

भवदीय,

(रामेश्वर प्रसाद)

सहायक आवास आयुक्त